	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकदमा केरीकेन उप०/P.O. साहब ... पत्रावली दिनांक 5/11/18 को पेश हो।	
5/11/18	वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 16.11.18 को पेश हो। S Dole	
16/11/18	वकील वादी उपस्थित। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ता० दिनांकित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संचित रिकार्ड रूम हो। सुनाया। S Dole	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/12 सन् 2017

वउनवान

1. धर्मपाल पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी कुट्टीन–सहवदास तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बृजलाल जाति मीना
2. हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति मीना
3. गुलाब पुत्र रामस्वरूप जाति मीना
4. कुलदीप पुत्र रामोतार पोत्र रामस्वरूप उम्र 6 साल नाबा0
5. कोमल पुत्री रामोतार पोत्री रामस्वरूप उम्र 3 साल नाबा0
6. तनू पुत्री रामोतार पोत्री रामस्वरूप उम्र 1 साल नाबा0 नाबालिगान जरिये सपरस्त पिता रामस्वरूप पुत्र बृजलाल जति मीना निवासी कुट्टीनसावदास बाबा खुद तहसील कठूमर जिला अलवर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय दिनांक 16.01.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 01, 19, 154, 312, 315, 46, 50, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 323, 324, 327 वाके ग्राम कुट्टीन सावदास तहसील कठूमर में स्थित है। वादी एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य तथा रामस्वरूप की संतान है। रामस्वरूप के चार लडके

हजारी, गुलाब वो कुलदीप वो धर्मपाल पैदा हुये जिनमें से रामोतार फौत हो चुका है। जिसके वारिस उसका लडका कुलदीप वो दो पुत्री कोमल व तनू है। दावा के पैरा संख्या 1 में वादी ने परिवार का सजरा व दावा के पैरा संख्या 2 में वादी ने विवादित आराजी के पक्षकारान के हिस्सा दर्ज किये है। जिन हिस्सों के मुताविक वादी एव प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगण को जन्म लेते ही उक्त पैत्रिक आराजी में अधिकार निहित हो गये है तथा आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चल रही है। प्रतिवादी दीगर लोगों की वहकावट में आकर विवादित आराजी को रहन वय करने को अमादा है जिससे वादी के हक हकूकों जायल होगें। प्रतिवादी संख्या 1 को पैत्रिक आराजी को रहन वय करने का अधिकार नहीं है। वादी विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी को अलग से अपनी खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है। गैरसायलान विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है विवादित आराजी पैत्रिक विरासत से प्राप्त है। अतः वादी ने दावा डिक्री कर विवादित आराजी में अपने हिस्सानुसार खातेदारी की घोषणा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ला06 ने हाजिर अदालत होकर अपना इकवालिया जवाव दावा दिनांक 29.05.2014 को हाजिर अदालत होकर पेश किया है प्रतिवादीगण ने दावा के तथ्यों को स्वीकार कर दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श 1 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी धर्मपाल पी डब्ल्यू 1, गवाह राजेशकुमार पी डब्ल्यू 2, गोपालसिंह प्रदर्श–3 के वयान रेकार्ड कराये है जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें वादी को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में वादी 1/5 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने जवाव ईकवाल दावा पेश कर विवादित आराजी को पैत्रिक होना व वादी का विवादित आराजी में 1/5 हिस्से पर कब्जा होना स्वीकार किया है। स्वंय ने राजीनामा पेश कर अपने नाम दर्ज आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त होना व विवादित आराजी पैत्रिक होना तथा दावा वादी मुताविक अनुतोंष डिक्री किये जाने की सहमति दी है। प्रतिवादी स्वंय ने वादी के दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति दी है।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 1 गवाह पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 3, प्रतिवादीगण के ईकवाल जवाव दावा का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। मुताविक नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श1वाके ग्राम कुट्टीनसावदास के खाता संख्या 98 पर खसरा नम्बर 1 रकवा 0.44 हे. 19 रकवा 0.40 हे. 154 रकवा 1.28 हे. 312 रकवा 1.01 हे. 315 रकवा 0.22 हे. किता 5 रकवा 3.35 हे. में प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप पुत्र बृजलाल का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 100 पर खसरा नम्बर 46 रकवा 0.05 हे. 50 रकवा 0.14 हे. 83 रकवा 0.25 हे. 84 रकवा 2.38 हे. 86 रकवा 1. 40 हे. 87 रकवा 0.33 हे. 88 रकवा 0.33 हे. 89 रकवा 1.08 हे. किता 8 रकवा 5.96 हे. में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप पुत्र बृजलाल हिस्सा 1/2 दर 1/12 हिस्सा एंव खाता संख्या 104 के खसरा नम्बर 323 रकवा 0.22 हे. 324 रकवा 0.24 हे. 327 रकवा 0.24 हे. किता 3 रकवा 0.70 हे. में प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप पुत्र बृजलाल का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। मुताविक जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम कुट्टीनसावदास संवत् 2044 के खाता संख्या 60 खाता संख्या 43 एंव खाता संख्या 95 पर विवादित आराजीयात समस्त बिरजा पुत्र लक्ष्मण के नाम खातेदारी दर्ज होकर विरासत से जरिये अमल नामान्तकरण नोट प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप पुत्र बृजलाल के नाम अंकिमत है जिससे सावित है कि वादपत्र में विवादित आराजीयात पैत्रिक सम्पत्ति है। मुताविक सजरा पैत्रिक आराजीयात विवादित में वादीका हक

हिस्सा सावित होता है। प्रतिवादी सं01 ने वाद पत्र के समर्थन में ईकवालिया जवाब दावा पेश किया है। जिसमें स्वंय प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पैत्रिक होना व हिस्सानुसार वादी का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः वाद वादी सावित होने से दावा वादी डिक्री किये जानें योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बरान 01 रकवा 0.44 हे., 19 रकवा 0.40 हे. 154 रकवा 1.88 हे. 312 रकवा 1.01 हे. 315 रकवा 0.22 हे. वाके ग्राम कुट्टीन सावदास के 1/10 हिस्से का खसरा नम्बर 46 रकवा 0.05 हे. 50 रकवा 0.14 हे., 83 रकवा 0.25 हे. 84 रकवा 2.38 हे. 86 रकवा 1.40 हे. 87 रकवा 0.33 हे. 88 रकवा 0.33 हे. 89 रकवा 1.08 हे. के 1/120 हिस्सा एंव खसरा नम्बर 323 रकवा 0.22 हे. 324 रकवा 0.24 हे. 327 रकवा 0.24 हे. वाके ग्राम कुट्टीन सावदास तहसील कठूमर का 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड से वादी के उक्त हिस्से तक प्रतिवादी सं01 का नाम कलमजन कर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करने हेतु नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के उपरोक्त हिस्सा के अनुसारं कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 16.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/12 सन् 2017

वउनवान

1. धर्मपाल पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी कुट्टीन–
सहवदास तहसील कठूमर जिला अलवर

–––––– वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बृजलाल जाति मीना
2. हजारी पुत्र रामस्वरूप जाति मीना
3. गुलाब पुत्र रामस्वरूप जाति मीना
4. कुलदीप पुत्र रामोतार पोत्र रामस्वरूप उम्र 6 साल नाबा0
5. कोमल पुत्री रामोतार पोत्री रामस्वरूप उम्र 3 साल नाबा0
6. तनू पुत्री रामोतार पोत्री रामस्वरूप उम्र 1 साल नाबा0

नाबालिगान जरिये सपरस्त पिता रामस्वरूप पुत्र बृजलाल
जति मीना निवासी कुट्टीनसावदास बाबा खुद तहसील कठूमर
जिला अलवर

––––– प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बरान 01 रकवा 0.44 हे., 19 रकवा 0.40 हे. 154 रकवा 1.88 हे. 312 रकवा 1.01 हे. 315 रकवा 0.22 हे. वाके ग्राम कुट्टीन सावदास के 1/10 हिस्से का खसरा नम्बर 46 रकवा 0.05 हे. 50 रकवा 0.14 हे., 83 रकवा 0.25 हे. 84 रकवा 2.38 हे. 86 रकवा 1.40 हे. 87 रकवा 0. 33 हे. 88 रकवा 0.33 हे. 89 रकवा 1.08 हे. के 1/120 हिस्सा एंव खसरा नम्बर 323 रकवा 0.22 हे. 324 रकवा 0.24 हे. 327 रकवा 0.24 हे. वाके ग्राम कुट्टीन सावदास

तहसील कठूमर का 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड से वादी के उक्त हिस्से तक प्रतिवादी सं01 का नाम कलमजन कर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करने हेतु नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के उपरोक्त हिस्सा के अनुसारं कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे।

आज दिनांक 16.01.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर वो मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर